



उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की 47वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 31.07.2012 का कार्यवृत्त एवं निर्णय

उपस्थिति

1 श्री संजीव मित्तल आई0ए0एस0	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/अध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।	अध्यक्ष
2 श्री रणवीर प्रसाद आई0ए0एस0	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव।	उपाध्यक्ष
3 श्री ज्ञानेन्द्र देव	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेन्शन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य
4 श्री पी0 के0 मित्तल	मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।	सदस्य
5 श्री पी0 के0 सिन्हा	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ, प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0 प्र0।	सदस्य
6 श्री देवेन्द्र सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 राज्य पावर कारपोरेशन, उन्नाव।	सदस्य
7 श्री शशि कमल गोस्वामी	अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
8 श्री राजीव रतन साह	सहायक नियोजक, शहरी एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
9 श्री मनोज गुप्ता	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, गंगाघाट।	सदस्य
10 श्री डी0 के0 गुप्ता	सहायक अभियन्ता, उन्नाव नगर पालिका प्रतिनिधि, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उन्नाव।	सदस्य
11 श्री के0 पी0 मिश्रा	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, लखनऊ।	सदस्य
12 श्रीमती श्रुति शुक्ला	उप निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0 प्रतिनिधि, निदेशक, पर्यावरण विभाग, लखनऊ।	सदस्य

बैठक हेतु कोरम पूर्ण है। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), श्री-एस0 के0 सिंह द्वारा बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

९

बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत एजेण्डा के विभिन्न मदों पर कार्यवाही एवं निर्णय निम्नानुसार है :-

मद संख्या 47.01 विगत 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.04.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की सहमति से विगत बोर्ड बैठक दिनांक 21.04.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या 47.02 विगत 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.04.2012 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या

प्राधिकरण की विगत 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.04.2012 में लिये गये निर्णयो/निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया एवं निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये :-

मद सं० 46.02 (37.02 - ग) -

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित शुक्लागंज मगरवारा इत्यादि क्षेत्रों को कानपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करने से उत्पन्न हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा उन्नाव जनपद के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण हेतु की गयी अधिसूचना में उन्नाव जनपद के गाँवों को उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र में बनाये रखने हेतु आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की ओर से पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

मद सं० 46.06 -

उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, मोती नगर स्थिति प्राधिकरण कार्यालय की लिफ्ट के संचालन हेतु लिफ्ट मैन रखे जाने के संबंध में।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श उपरान्त निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण कार्यालय स्थित बंद लिफ्ट को पहले चालू कराया जाये, तत्पश्चात् ए०एम०सी० लिफ्ट मैन सहित की जाय।

मद संख्या 47.03 वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट का अनुमोदन

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तुत बजट पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा राजस्व व्यय रू० 217.00 लाख एवं पूजीगत व्यय रू० 1201.00 लाख रखे जाने तथा मा० श्री कांशीराम जी

शहरी गरीब आवास योजना के पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत तृतीय चरण के कार्यों हेतु दर्शाया गया रू0 300.00 लाख का व्यय को शासन को वापसी हेतु दर्शाया जाय के संशोधन के साथ वित्तीय वर्ष 2011-12 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 47.04 निराला नगर आवासीय योजना में भूखण्डों की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना एवं निराला नगर आवासीय योजना में अवशेष/सृजित आवासीय भूखण्ड के आवंटन हेतु आवासीय भूखण्डों की पूर्व निर्धारित दरों में बढ़ोत्तरी करते हुये सभी श्रेणी के भूखण्डों हेतु रू0 6000/- प्रति वर्ग मीटर की दर रखे जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 47.05 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में प्रस्तावित संशोधनों को शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में दिनांक 10.09.2011 तक किये गये प्रस्तावित संशोधनों को प्राधिकरण के समक्ष अंगीकृत किये जाने हेतु परिचालन के द्वारा अनुमोदन दिनांक 27.12.2011 का अवलोकन किया गया।

मद संख्या 47.06 विकास प्राधिकरण अपराधो का शमन उपविधि 2009 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0 प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना सं0 4824/8-3-09-09विधि/09 दिनांक 14 जनवरी 2010 के द्वारा निर्गत विकास प्राधिकरण अपराधो का शमन उपविधि 2009, शासनादेश सं0 547/8-3-2010-09विधि/09 दिनांक 24 फरवरी 2010 के संशोधन सहित उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अधीन उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र के लिये अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा

१

अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 47.07 ग्राम शेखपुर नरी, उन्नाव में निर्माणाधीन औद्योगिक ईकाई के लिये भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

मद संख्या 47.08 प्राधिकरण में स्वीकृत होने वाले मानचित्रों पर लिये जाने वाले शुल्को में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

मद संख्या 47.09 प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे मानचित्र दाखिला शुल्क में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

मद संख्या 47.10 उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भवन/तलपट मानचित्रों की स्वीकृति के समय लिये जाने वाले वाहय विकास शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

मद संख्या 47.11 उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सबडिवीजन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

मद संख्या 47.12 भवन और सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 वर्ष 2009 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीयन तथा सेस एक्ट 1996 की धारा 3 के अन्तर्गत सेस के निर्धारण एवं सेस की धनराशि इस कार्यालय में जमा करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय—

मद संख्या 47.13 आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंगहोम की स्थापना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन

के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 21.11.2011 एवं दिनांक 18.01.2012 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।


बोर्ड द्वारा अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

बोर्ड द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने एवं प्राधिकरण बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में अवश्य आहूत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अन्त में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गयी।




(एस0 के0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)/
सचिव
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव



(रणवीर प्रसाद)
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

अनुमोदित।



(संजीव मिस्तल) 1/8/2012
आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव